न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 64 / 2024
ऑनलाईन नम्बर 2024 / 8 निर्णय दिनांक 27-8-2024

शिशपाल पुत्र दानाराम जाति राईका निवासी इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी—

बनाम

1. जगमालाराम पुत्र दानाराम जाति राईका निवासी इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक वादी।
2. श्री अजय दर्जी प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 17 तादादी 2.3500 हैक्टेयर, खसरा नं. 18 तादादी 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नं. 21 तादादी 1.2200 हैक्टेयर, खसरा नं. 22 तादादी 9.7500 हैक्टेयर, खसरा नं. 65 तादादी 0.0100 हैक्टेसर, खसरा नं. 66 तादादी 13.4600 हैक्टेयर, खसरा नं. 73 तादादी 8.8300 हैक्टेयर, खसरा नं. 83 तादादी 10.5100 हैक्टेयर, खसरा नं. 86 तादादी 15.4900 हैक्टेयर कुल खसरा 9 कुल क्षेत्रफल 62.2300 हैक्टेयर वाकेरोही इन्दपालसर राईकान में स्थित थें। जिनको वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 शुरू से ही काश्त करते चले आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि का खाता विभाजन प्रार्थना—पत्र आपसी सहमति से दिनांक 22.01.2009 को समस्या शिविर तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ में प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमान् तहसीलदार (भू—अ.) श्रीडूंगरगढ के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसका खाता विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.02.2009 को हल्का पटवारी ने तैयार करके प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था। हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये उपरोक्त विभाजन पत्र में खेत खसरा नं. 17 तादादी 2.3500 हैक्टेयर भूमि का विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार करते समय खेत खसरा नं. 17 के उतर में प्रतिवादी संख्या 1 जगमालाराम का (वर्तमान खसरा नं.98 / 17 तादादी 1.1800 हैक्टेयर) हिस्सा व दक्षिण में वादी शिशपाल का (वर्तमान खसरा नं. 99 / 17 तादादी 1.1700 हैक्टेयर) हिस्सा दर्शाया गया था लेकिन हल्का पटवारी ने सहबन् से नक्शा तरमीम करते समय उतर में प्रतिवादी संख्या 1 जगमालाराम की जगह वादी शिशपाल व दक्षिण में वादी शिशपाल की जगह प्रतिवादी संख्या 1 जगमालाराम का हिस्सा दर्शा दिया गया है [illegible] के समय प्रस्तुत नक्शा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 जगमालाराम का हिस्सा उत्तर [illegible] तथा वादी शिशपाल का हिस्सा दक्षिण दिशा में दर्शाया जाना था जिसको दुरूस्त करवाया जा[illegible] आवश्यक है। इसी प्रकार हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये उपरोक्त विभाजन पत्र [illegible] नं. 21 तादादी 1.2200 हैक्टेयर भूमि का विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार करते समय सहब[illegible] खेत खसरा नं. 21 [illegible] उतर में प्रतिवादी संख्या 1 जगमालाराम का (वर्तमान खसरा नं. 102 / 21 तादादी 0.6100 हैक्टेयर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:05:16 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा दक्षिण में वादी शिशपाल का (वर्तमान खसरा नं. 103/21 तादादी 0.6100 हैक्टेयर) हिस्सा दर्शाया गया था जबकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी आपसी सहमति से खेत खसरा नं. 21 तादादी 1.2200 हैक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि को वादी शिशपाल के पक्ष में छोड़ी थी तथा इस खसरान की भूमि के बदले वादी ने 0.6100 हैक्टेयर भूमि अपने खेत खसरा नं. 22 (वर्तमान खसरा नं. 105/22) की हिस्सा भूमि में से उतरी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 की वर्तमान खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 104/22 के दक्षिणी तरफ छोड़ी थी जिसके अनुसार हल्का पटवारी ने विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार नही करके सहबन से. खेत खसरा नं. 21 की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में 1/2 – 1/2 दर्शा दी गई थीं जिसको वादी द्वारा सही करवाया जाना आवश्यक है। वादी ने अपने उक्त खसरान भूमि में जब नल कुप खुदवाने के लिये हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शे की नक्ले दिनांक 06.03.2024 को निकलवाई तब वादी को इस बात की जानकारी हुई की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से जो विभाजन किया गया था उसमें हल्का पटवारी ने सहबन से गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव व ऑनलाईन नक्शा में गलत रूप से तरमीम कर दी है तब वादी ने हल्का पटवारी द्वारा की गई उक्त गलती की शुद्धि करवाने के लिये प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमान् तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2024 को पेश किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार महोदय ने विभाजन की गलती को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया व कहा की इसके लिये आपको सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा। यही दावे के आधार एंव वाद हेतू है । ऐसी स्थिती में वादी के पास रिकार्ड दुरूस्ती व अपने ही नाम के राजस्व रिकार्ड की शुद्धि की घोषणा हेतु यह घोषणत्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी अनपढ व ग्रामीण प्रवेश का व्यक्ति है जिसको विभाजन प्रस्ताव में हुई गलती की जानकारी पहले कभी नही हुई तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से किये गये उपरोक्त विभाजन के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है जिसको वादी राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाकर शुद्धि करवाने का अधिकारी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति से किये गये उक्त विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में उनका आंकलन नही होने से वादी को कई प्रकार की परेशानिया हो रही है तथा सरकारी लाभ से वंचित हो रहा है । दावा घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती का है, दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेत में वादी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन होने से वादी को भारी परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है इसलिये तुरंत दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरुद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छुट प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत रोही इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है इसलिये दावा सुनवायी का श्रीमान्जी को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर में पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है के वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 को यह आदेशित किया जावें कि (i) प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 98/17 तादादी [illegible] हैक्टेयर वाकेरोही इन्दपालसर राईकान के दक्षिणी तरफ स्थित वादी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 99/17 तादादी 1.1700 हैक्टेयर वाकेरोही इन्दपालसर राईकान को राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावें तथा (ii) वर्तमान खेत खसरा नं. 102/21 तादादी 0.6100 हैक्टेयर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:05:16 IST
Reason: SelfAttested

3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

भूमि को राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावें तथा (iii) वादी के नाम से वर्तमान खेत खसरा नम्बर 105/22 तादादी 4.8800 हैक्टेयर वाकेरोही इन्दपालसर राईकान की भूमि में से 0.6100 हैक्टेयर भूमि उतरी तरफ की कम की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावें ।

(ख) यह है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से किये गये विभाजन के अनुसार खेत खसरा नं. 17, 21 व 22 में सहबन से कि गई गलती का राजस्व रिकार्ड में दूरूस्त किया जाने की घोषणा करके उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 2 से करवाई जावें ।

(ग) यह है कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोश जो हितकर वादी हो अथवा दोराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर ईकबाल जवाबदावा पेश किया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब दावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

रोही ग्राम इन्दपालसर राईकान के खेत खसरा नंबर 98/17 तादादी 1.1800 हैक्टेयर, 99/17 तादादी 1.1700 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 102/21 तादादी 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105/22 तादादी 4.8800 हैक्टेयर में से उतरी तरफ की भूमि 0.6100 हैक्टेयर वाकेरोही इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी तहसीलदार श्रीडूंगरगढ से प्राप्त जवाब दावा में सलग्न नजरी नक्शा मौका अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:05:16 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

शिशपाल पुत्र दानाराम जाति राईका निवासी इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी—

बनाम

1. जगमालाराम पुत्र दानाराम जाति राईका निवासी इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

मुकदमा नम्बर 64/2024
दावा बाबतः, घोषणात्मक, रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 27.8.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम जाखड अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री अजय दर्जी अधिवक्ता प्रतिवादी 01 व पैरोकारराज प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि रोही ग्राम इन्दपालसर राईकान के खेत खसरा नंबर 98/17 तादादी 1.1800 हैक्टेयर, 99/17 तादादी 1.1700 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 102/21 तादादी 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105/22 तादादी 4.8800 हैक्टेयर में से उतरी तरफ की भूमि 0.6100 हैक्टेयर वाकेरोही इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी तहसीलदार श्रीडूंगरगढ से प्राप्त जवाब दावा में सलग्न नजरी नक्शा मौका अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। । **तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 27 माह 08 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:05:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)